के लिए भेजी थी यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इस संबंध में कोई आवंटन किया है और यदि हां, तो यह आवंटन राशि कितनी है ; और

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उक्त परियोजना पूरी करने के लिए केन्द्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है और यदि हां, तो यह वित्तीय सहायता कब तक प्रदान की जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल):(क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार से बस्तर जिले में सड़कों, पुलों और पुलियों के निर्माण की कोई परियोजना ग्रामीण विकास मंत्रालय को उस की मंजूरी और आवंटन के लिए प्राप्त नहीं हुई है । ग्रामीण सड़कें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य का विषय है और इसके लिए राज्य योजना /बजट में निधियां उपलब्ध कराई जाती हैं ।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेय जल की आपूर्ति

7099. **श्री गोविन्द राम मिरी :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सुचारू व्यवस्था करने, नलकूपों तथा हैंडपम्पों को बदलने और उनकी मरम्मत के लिए केन्द्र द्वारा राज्य सरकारों को धनराशि उपलब्ध कराई जाती है ;

(ख) यदि हां, तो केन्द्र द्वारा कुल व्यय का कितना प्रतिशत वहन किया जाता है ;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने उपर्युक्त कार्यों से संबंधित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वर्ष 1993-94 तथा वर्ष 1994-95 में केन्द्र से कोई सहायता राशि की मांग की है ;

(घ) यदि हां, तो वर्ष वार राशि का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या केन्द्र ने मध्य प्रदेश सरकार को मांगी गई राशि उपलब्ध करा दी है; यदि हां, तो कब और कितनी राशि प्रदान की गई; और

(च) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) केन्द्रीय प्रायोजित त्वरित जल सप्लाई कार्यक्रम तथा राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन के तहत उप मिशनों और मिनी मिशन के अंतर्गत गांवों में स्वच्छ पेयजल सुविधा मुहैया करवाने तथा जल सप्लाई योजनाओं के संचालन और रख-रखाव के लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता दी जाती है ।

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा वहन किए जाने वाले कुछ खर्च का प्रतिशत नीचे दिया गया है :--

(क) **त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम**

सामान्य	राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत मैचिंग प्रावधान के आधार पर 100 प्रतिशत ।
मरूभूमि वाले विकास कार्यक्रम वाले क्षेत्र	मैचिंग प्रावधान की शर्त के बिना 100 प्रतिशत ।

(ख) उप मिशन —75 प्रतिशत

(ग) मिनी मिशन — बिना मैचिंग प्रावधान की शर्त के अनुमोदित लागत का 100 प्रतिशत ।

उपरोक्त (क) के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों में से 10 प्रतिशत निधियों को जल सप्लाई योजनाओं के संचलन और रख-रखाव पर इस्तेमाल करने की अनुमति है।

(ग) जी, हां ।

(घ) और (च) 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत मध्य प्रदेश के लिए आवंटन और रिलीज की गई निधियों को नीचे दर्शाया गया है :

(लाख रुपए में)

वर्ष	आवंटन	तिथि	रिलीज की गई राशि
1993-94	4600.00	16-4-1993	1060.00
		25-5-1993	750.00
		13-8-1993	1381.00
		19-1-1994	1409.00
	कुल		4600.00
1994-95	5142.00	25-4-1993	1300.00

इसके अलावा, राजगढ़ जिले में मिनी मिशन परियोजना के लिए मार्च, 1994 में 53.70 लाख रुपए रिलीज किए गए थे । राज्य सरकार ने वर्ष 1993-94 के आवंटन 2.00 करोड़ रूपए की वृद्धि करने का अनुरोध किया था जिसे अनुमोदित कर दिया गया था । और 28-3-94 को रिलीज कर दिया गया था ।

जहां तक 1994-95 का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने निम्नलिखित परियोजनाओं के लिए त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटन के अलावा अतिरिक्त सहायता देने का अनुरोध किया है :—

(लाख रुपए मे)

(1) बस्तर जिले के लिए पेयजल तथा संबंधित जल प्रबन्ध हेतु समेकित परियोजना	85.00
(2) उज्जैन जिले में घातिया जल सप्लाई योजना	89.11
(3) छिंदवाड़ा जिले में तमीया संसर परियोजना	81.11
	1020.22

उपरोक्त तीन परियोजनाओं को त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकी रूप से अनुमोदित कर दिया गया था, और इसलिए, खर्च को सामान्य त्वरित ग्रामीण जल सप्लाई कार्यक्रम आवंटन में से वहन किया जाना है, जिसे 1994–95 के लिए बढ़ा दिया गया है ।

संसद सदस्यों द्वारा एक करोड़ रुपये व्यय किये जाने की योजना में प्राथमिक मदें

7100. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद सदस्यों को विकास संबंधी प्रयोजनों हेतु एक करोड़ रुपए की राशि व्यय करने के प्राप्त प्रस्तावित अधिकार के संदर्भ में इस राशि को व्यय करते समय किन-किन मदों को प्राथमिकता प्रदान की गई है ;

(ख) क्या सरकार ने इस पहलू पर विचार किया है कि यदि ये कार्य राज्य सरकारों के अधिकारियों द्वारा संपादित किए जाते हैं; जैसी कि उक्त योजना में परिकल्पना की गई है तो इससे अपेक्षित परिणामों की प्राप्ति नहीं होगी ; और

(ग) क्या सरकार इस संबंध में अपनी कोई योजना बनाने का विचार रखती है, यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री श्री रामेश्वर ठाकुर : (क) से (ग) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निर्माण कार्य प्राथमिक तौर पर परिसम्पत्तियों के सृजन के कार्य होंगे और किन्हीं साज-सामान उपकरणों आदि की खरीद अथवा राजस्व खर्च की अनुमति नहीं होगी । निर्माण कार्यों का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि उन्हें एक अथवा दो कार्य मौसमों में पूरा किया जा सके और जिससे टिकाऊ स्वरूप की परिसम्पत्तियों का सृजन हो सके । प्रस्तावित किसी भी निर्माण कार्य की लागत 10.00 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए । इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित निर्माण कार्य जिला योजनाओं और जिले में चल रहे केन्द्रीय प्रायोजित और केन्द्रीय, क्षेत्र के कार्यक्रमों के अंतर्गत परियोजनाओं और कार्यक्रमों के सामान्य पैटर्न के अनुरूप होने चाहिए । यदि जिला कलेक्टर संसद सदस्यों द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्यों की सूची में से किसी भी कार्य पर विचार करने और उसे शुरू करने में असहमत होता है तो उसे इसके कारणों, आवश्यकताओं आदि के बारे में योजना विभाग को यथाशीघ्र एक विस्तृत रिपोर्ट भेजनी चाहिए और किसी भी दशा में यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष के जून के अंत से पूर्व भेज दी जानी चाहिए, जिसके एक प्रति ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजी जानी चाहिए । राज्य योजना विभाग इस रिपोर्ट की जांच करेगा और यदि आवश्यक होगा तो भारत सरकार के नोडीय मंत्रालय के साथ परामर्श करके उपयुक्त कार्रवाई करेगा

Amount allotted under Rural Development Schemes to Punjab

7101. SHRI IQBAL SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the total amount allotted to Punjab under different rural development schemes and

(b) the amount actually utilised out of it in the year 1993-94 and so far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI PATEL): (a) and (b) The amount allocated and utilised under Major Rural Development Programmes namely—(i) Integrated Rural Development Programme (IRDP), (ii) Jawahar Rozgar Yojana (IRY) and Accelerated Rural Water